

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्र./प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
47/021	212 RTA	मीलवाड़ा अ-वा	दुआवा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
जगदीश	बनाम	मदन लाल गंगाधर नाते	

0021/143

वकील :- सुप्रसन्न सिंह एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

18/21

अभिभाषक भावी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गणों के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अक्लोकत किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। तथा अप्रार्थी गणों के पारिषद सम्मन तलब भर पत्रावली दिनांक 6/9/021 को पेश हो।

6/21

पत्रावली पेश हुई। वकील भावी उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1 वा 5, 7, एवं 10 वा 18 के वाद शामिल सम्मन प्राप्त प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से श्री शम्भू शोनी का बमालत नामा एवं 13 वा 18 की ओर से श्री हेमंत पारीक एडवो. द्वारा अपडेट डेकिंग पेश को है। प्रतिवादी, 3, 4, 5, 7 एवं 10 वा 12 बकायद सूचना के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एकराफा भावी वादी की जाती है। प्रतिवादी 6, 8, 9 को तलबी हेतु तलबना पेश को करते वलबी। जबकि पत्रावली दिनांक 6/10/21 को पेश हो।

16/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर..... पर पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक.. 5/01/22 को पेश को।

दिनांक

25-8-25

आर्य समाज प्रकाशन, आर्य समाज, दिल्ली

आर्य समाज प्रकाशन, आर्य समाज, दिल्ली

दिनांक 25-7-25 का पत्र का

आर्य समाज प्रकाशन, आर्य समाज, दिल्ली

आर्य समाज, दिल्ली

23-9-25

पत्राचार के अभाव में आर्य समाज प्रकाशन के पत्रों का प्रकाशन नहीं हो पाया है। पत्राचार के अभाव में आर्य समाज प्रकाशन के पत्रों का प्रकाशन नहीं हो पाया है।

दिनांक 2-11-25 को पत्र का

3-11-25

पत्राचार के अभाव में आर्य समाज प्रकाशन के पत्रों का प्रकाशन नहीं हो पाया है। पत्राचार के अभाव में आर्य समाज प्रकाशन के पत्रों का प्रकाशन नहीं हो पाया है।

दिनांक 1-12-25 को पत्र का

1-12-25

पत्राचार के अभाव में आर्य समाज प्रकाशन के पत्रों का प्रकाशन नहीं हो पाया है। पत्राचार के अभाव में आर्य समाज प्रकाशन के पत्रों का प्रकाशन नहीं हो पाया है।

दिनांक 1-12-25 को पत्र का